न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, आमेट
जिला राजसमंद

पीठासीन अधिकारी :– श्री गोविन्द सिंह आर.ए.एस.
पत्रावली संख्या. 127 / 2014
किस्म :– प्रार्थना–पत्र
दायर दिनांक : 20.11.2014

निर्णय दिनांक : 21.05.2025

उनवान

1. मोहनी पुत्री उदा गुर्जर निवासी डिंगरोल, तहसील आमेट एवं पत्नी वरदा गुर्जर निवासी सिमाल तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

.....**प्रार्थी**

बनाम

1. मोहनलाल पिता गिरधारी गुर्जर निवासी डिंगरोल
2. रामलाल पिता मोहनलाल गुर्जर निवासी डिंगरोल तहसील आमेट जिला राजसमन्द (राज.)

.....**विपक्षीगण**

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता

प्रार्थी की ओर से :– **अधिवक्ता प्रमोद लक्कार**
विपक्षीगण की ओर से :– **अधिवक्ता मुकेश देवपुरा**

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट आदेश 39 नियम 1–2 सपठित धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम डिंगरोल पटवार हल्का दोवड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित खाता संख्या नया 193 पुराना 185 के आराजी नम्बर 381, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 410, 419, 420, 421, 456, 569, 570 कुल किता 14 रकबा 6.3900 हैकटेयर भूमि जो स्वर्गीय उदा जी, जयराम जी, गिरधारी जी के नाम पर दर्ज थी। यह कुलिया भूमि परिवार के मूल पुरुष स्वर्गीय कुशाल जी पिता फत्ता जी गुर्जर के समय की होकर संयुक्त अविभाजित परिवार के हैसियत कि होकर प्रार्थी व इनके पूर्वाधिकारी संयुक्त रूप से ही उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे थे, कुशाल जी का स्वर्गवास करीब 75 वर्ष पूर्व हो गया था, कुशाल जी के मरने के पश्चात् कुशाल जी के पुत्र उदा जी, जयराम जी, गिरधारी जी के खाते दर्ज हुई। कुशाल जी की मृत्यु के बाद वादग्रस्त कृषि भूमि का अपने भाईयो उदा, जयराम एवं गिरधारी के मध्य खाते दर्ज हो गई और मौके पर तीन हिस्से करके भूमि का शांति पूर्वक उपयोग–उपभोग करते रहे, स्वर्गीय उदा जी, जयराम एवं गिरधारी के मध्य आपसी समझ बुझ एवं प्रेम सोहार्द था। प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण एक ही परिवार के सदस्य है और इनके

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

परिवार के मूल पुरूष कुशाल जी पिता फत्ता जी गुर्जर होकर पूरा परिवार संयुक्त अविभाजित हिन्दु परिवार कि तरह जीवन यापन करते रहे और लेंज–देज, खर्चा–खाता संयुक्त रूप से करते रहे है। पूरा परिवार हिन्दू विधि से शासित होता रहा है। परिवार के मूल पुरूष (मुखिया) श्री कुशीले पिता फत्ता जी गुर्जर का पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

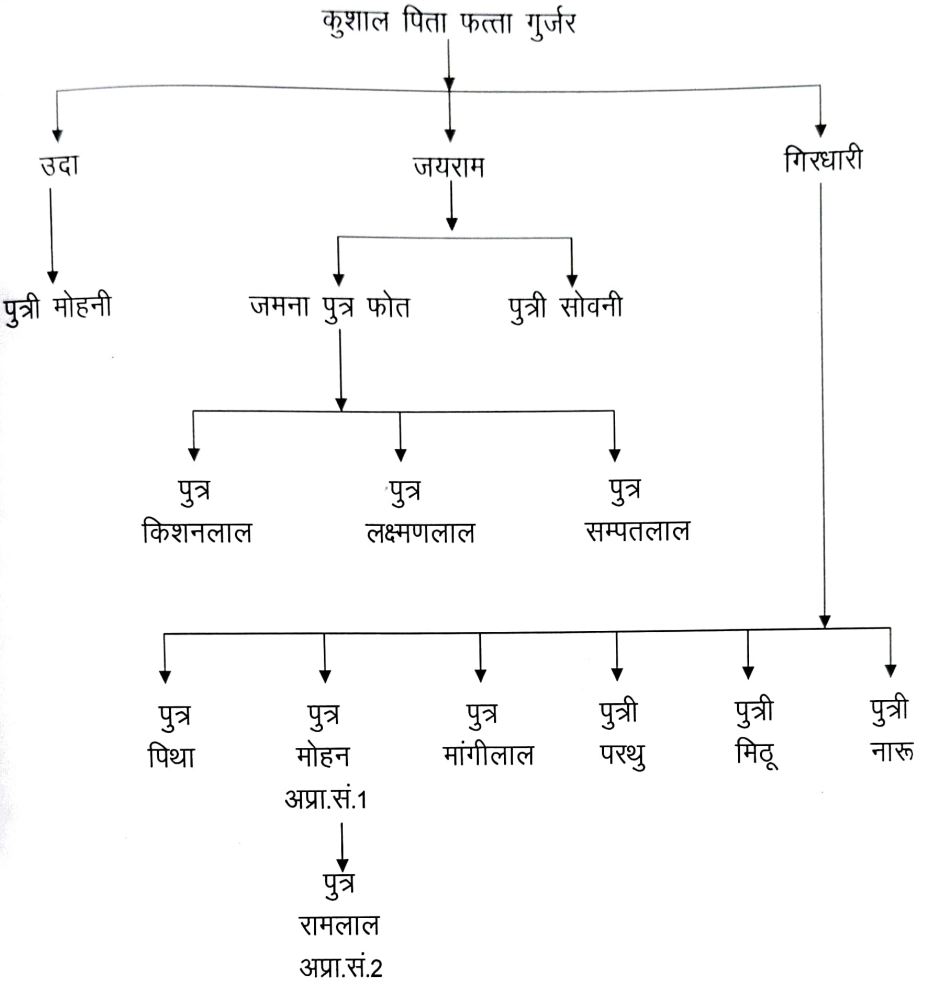

उदा जी का स्वर्गवास सन् 1980 में हो गया तथा उक्त भूमि पर उनके वंशज काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है, उदा जी की जायन्दा पुत्री प्रार्थी का 1/3 (एक बटा तीन) हिस्सा एवं जयराम जी के वंशज प्रतिवादी संख्या 03, 04, 05 व 06 का 1/3 (एक बटा तीन) हिस्सा एवं स्वर्गीय गिरधारी जी के जायन्दा सन्तानो अप्रार्थी संख्या 01 व प्रतिवादी 07, 08, 09, 10, 11 का 1/3 (एक बटा तीन) हिस्सा दर्ज होना चाहिए जिस अनुसार उस पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहे है। स्वर्गीय उदा पिता कुशाल जी गुर्जर जो प्राकृतिक पिता थे और प्रार्थी एक मात्र जीवित जायन्दा पुत्री है, प्रार्थी श्रीमती मोहनी के पिता उदा जी का जब 1980 में स्वर्गवास हुआ। तब अप्रार्थी सं. एक ने

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

पंचायत से मिली भगत कर अपने आप को उदा जी का पुत्र बता उदा जी के खाते की संपूर्ण भूमि अप्रार्थी संख्या 01 मोहनलाल ने जो कि गिरधारी जी का पुत्र था अपने खाते दर्ज करा दी। जबकि उदा जी के तो कोई जायन्दा पुत्र ही नहीं था। प्रार्थी सभी काश्तकार होकर पढ़े लिखे नही होने से कानून का ज्ञान नहीं होने से राजस्व अभिलेखों के बारे में कोई जानकारी नही रखते है, अप्रार्थी संख्या 01 मोहनलाल जो कि प्रतिवादी संख्या 07 से 11 तक का सगा जायन्दा भाई होकर इस सभी के प्राकृतिक पिता स्वर्गीय श्री गिरधारीलाल जी थे, अप्रार्थी संख्या 01 ने दुर्भावना पूर्वक षडयंत्र रच कर तत्कालीन पंचायत के सरपंच, वार्डपंच एवं पटवारी हल्का से सांठ–गांठ कर झूठे व अविश्वशनीय कथन करके अपने आपको स्वर्गीय उदा पिता कुशाल जी का जायन्दा पुत्र बताकर विरासत का नामान्तरकरण मोहन अप्रार्थी ने अपने नाम खुलवा लिया, प्रार्थी जो कि जायन्दा पुत्री है और भूमि पर काबिज है उसको भी इस तथ्य कि भनक तक नही लगने दी। अप्रार्थी संख्या 01 ने राजस्व अभिलेख में स्वर्गीय उदा पिता कुशाल जी गुर्जर के खाते की कुलिया भूमि का दाखला अनाधिकार पूर्वक अपने अकेले के नाम करवा दिया है जो प्रार्थी के कानूनी अधिकार के मूकाबले कानूनन अवैध होकर एबइनेश्यु वोईड होकर काबिले खारीज है, अप्रार्थी संख्या 01 ने दुर्भावना पूर्वक वादी को अंधेरे में रख कर साजिश पूर्वक अपने आपको स्वर्गीय उदा पिता कुशाल जी गुर्जर का जायन्दा पुत्र बताकर नामान्तरकरण संख्या 23 दिनांक 9.7.1981 को ग्राम पंचायत दोवड़ा द्वारा खुलवा लिया जो काबिले खारिज है, और अप्रार्थी मोहनलाल के नाम से स्वर्गीय उदा पिता कुशाल जी गुर्जर के खाते कि भूमि विलोपित किया जाकर प्रार्थी के नाम पर अमल दरामद कर खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है. साथ ही वादग्रस्त आराजीयात का विभाजन भी मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर किया जाना कानूनी आवश्यक है। प्रार्थी मोहनलाल गुर्जर ने संपूर्ण उदा जी की सम्पति अपने नाम होने का फायदा उठा उक्त संपति स्वयं को अपने पुत्र रामलाल करा विधिक संरक्षक बताते हुए उसके हक में दान कर दी। रामलाल अब वयस्क हो जाने से उस अप्रार्थी सं. 02 बनाया गया है। दान कर्ता और दान गृहिता दोनो जगह मोहनलाल ने स्वयं हस्ताक्षर किए है। मोहनी प्रार्थी ने मोहनलाल के खिलाफ अपने आप को फर्जी तरीके से उदा जी का पुत्र बनाने के संबंध में एक मुकदमा 156/3 के तहत सिविल जज साहब कनिष्ठ खंड एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट आमेट में पेश किया जिसमें मुकदमा 156/3 के तहत दर्ज किया जाकर दोहराने अनुसंधान मोहनलाल को अभियुक्त मानते हुए 420 के तहत जै. सी. किया गया तथा न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब के यहां से जमानत तक खारिज कर दी गई। कानूनन उदा जी की संपूर्ण सम्पति का एकमात्र वारिस हिन्दु उत्तराधिकार नियम के तहत केवल और केवल मात्र मोहनी थी। तथा अप्रार्थी सं. 01 को उदा जी की संम्पति मे कोई हक अधिकार नही है। मोहनलाल मूलतः प्रतिवादी सं. 07 से 11 का सगा भाई होकर उसका अपने भाईयो के साथ हक है। उदा जी की संम्पति में उसका कोई हक अधिकार नही है। नामान्तरण एक फिस्कल कार्यवाही है उससे किसी को कोई हक अधिकार उत्पन्न नही होते । मोहनलाल गिरधारीजी का पुत्र है और उसका उदा जी सम्पति में कोई हक नहीं है। मोहनलाल के पक्ष में खोला गया नामान्तरण शुरू से शून्य है तथा मोहनलाल द्वारा अप्रार्थी सं. 02 रामलाल के पक्ष में किया गया दानपत्र बिना किसी हक अधिकार के है। जो

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

अवैध व शुरू से ही शून्य है। उक्त दान पत्र को देखने मात्र से ही इसकी पुष्टि हो जाती है कि उक्त दानपत्र प्रार्थी को उसके हक अधिकार से वंचित करने के लिए व धोखा देने के उद्येश्य से निष्पादित किया गया है। उक्त दान से प्रार्थी के हक अधिकार पर कोई प्रभाव नही पड़ता उक्त दानपत्र प्रार्थी के हक अधिकार के मुकाबले शुरू से शून्य होकर अप्रभावी है। उससे रामलाल को कोई अधिकार सृजित नही होते है। उक्त वर्णित सम्पति में उदा जी की संपति की एकमात्र वारिस मोहनी प्रार्थी थी तथा उक्त भूमि के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति को अपने नाम नामान्तरण खुलवाने या अन्य कोई दस्तावेज निष्पादित करने का कोई अधिकार नही था अगर कोई दस्तावेज निष्पादित किया गया है तो प्रार्थी के हक अधिकार के मुकाबले शुरू से ही शून्य है। वादग्रस्त भूमि में उदा जी के 1/3 हिस्से के एकमात्र वारिस प्रार्थी है तथा गिरधारी जी के 1/3 हिस्से के वारिस उनके पुत्र पुत्रियां श्री पिथा, मांगीलाल, परथ, मिठु नारू व प्रार्थी मोहनलाल है तथा जयराम जी के पीछे चमना, सोवनी, उनके 1/3 हिस्से के वारिस है। चमना का देहान्त हो जाने से चमना जी के हिस्से की भूमि के वारिस उनके पुत्र अप्रार्थी सं. 03, 04, 05 है। अप्रार्थी सं. 01 व 02 अपने नाम पर भूमि के नामान्तरण खुल जाने का फायदा उठा संपूर्ण भूमि को हस्तान्तरण करने पर आमादा है जिसका उसे कोई अधिकार नही है व संपति को खुर्द बुर्द करना चाहते है यदि अप्रार्थी सं. 01 व 02 को निषेधाज्ञा से नही रोका गया तो अपने मकसद में कामयाब हो गये तो प्रार्थी को भारी कष्ट व असुविधा का सामना करना पड़ेगा व प्रार्थी के प्रार्थनापत्र पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जाएगा। तो प्रार्थी को ऐसी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में कतई संभव नहीं है। इन परिस्थितियो में यह आवश्यक हो गया है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे की वह वादग्रस्त भूमि को बय बक्षीस हस्तान्तरण नही करे व मौके व रेकड की यथावत स्थिति बनाए रखे जिसके लिये यह अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थनापत्र पेश है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया सुदृढ़ पाया जाकर सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थी के पक्ष में है तथा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जाती तो प्रार्थी को भारी अपूर्णीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति अर्थ में सम्भव नहीं है।

अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी के पक्ष में व अप्रार्थी के विरूद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस बात की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि वादग्रस्त भूमि से प्रार्थी को बेदखल करे, न ही प्रार्थी के कब्जे में किसी प्रकार से हस्तक्षेप करे, न ही रेकॉर्ड में फेर फार करे न ही भूमि को बय बक्सीस व हस्तान्तरण करें। मौके रेर्काड की यथावत स्थिति बनाए रखे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर विपक्षी को नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगण की तरफ से अधिवक्ता मुकेश देवपुरा ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि कुशाल पिता फत्ता जी गुर्जर निवासी डिंगरोल विपक्षी संख्या 01 मोहनलाल के दादाजी है। श्री कुशाल जी के तीन पुत्र हुए जो कमशः श्री उदा, श्री जयराम एवं श्री गिरधारी हुए एवं दो पुत्रीया हुई जिनमे नाम श्रीमती धापुबाई पुत्री कुशाल जी गुर्जर निवासी डिगरोल, हाल टाडावाडा एवं श्रीमती खेमीबाई पुत्री कुशाल जी गुर्जर निवासी डिंगरोल है, जो श्रीमती खेमीबाई एवं

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी आमेट

धापुबाई की मृत्यु हो चुकी है। प्रार्थीया ने सजरे मे कुशाल जी के केवल 03 पुत्र होना ही दर्शाया है जो गलत है। कुशाल पिता फत्ता जी गुर्जर का परिवार न तो संयुक्त अविभाजित हिन्दु परिवार है एवं न ही कोई मानताल लेन–देन, खर्चा–खाता संयुक्त रूप से होता है। बल्कि विपक्षी संख्या 01 मोहनलाल पिछले 38 सालो से भी अधिक समय से अलग रह रहा है एवं अलग रह कर ही अपना जीवन यापन कर रहा है। वास्तव मे श्री कुशाल जी के सबसे बडे पुत्र श्री उदा जी थे, जो कि श्री उदाजी के एक पुत्र एवं दो पुत्रीया हुई जिसमे से पुत्र का नाम गोरधन था, एवं बडी पुत्री का नाम श्रीमती धन्नी था एवं छोटी पुत्री का नाम मोहनी प्रार्थीया है। श्रीमती गोरधन जो कि उदा जी का जाईन्दा पुत्र था, जो गोरधन की मृत्यु श्री उदाजी के जीवनकाल मे ही बाल्य अवस्था मे ही हो गई थी एवं श्रीमती धन्नी ही उदाजी के जीवित रहते हुए ही दिवगंत हो गई थी। श्री गोरधन की मृत्यु के पश्चात् श्री उदा पिता कुशाल जी गुर्जर निवासी डिंगरोल ने विपक्षी संख्या 01 श्री मोहनलाल को गोद ले लिया था, तब से ही विपक्षी संख्या 01 श्री मोहनलाल उदा जी के पास एक पुत्र की तरह रह रहा है। विपक्षी संख्या 01 ने ही श्री उदा जी की पाग बांधी ओर श्री उदाजी का काज करियावर भी विपक्षी संख्या 01 मोहनलाल ने ही किया एवं गोद जाने के पश्चात् श्री उदा जी की तमाम चल अचल सम्पति का मालिक विपक्षी संख्या 01 श्री मोहनलाल जी हो गया। लेकिन प्रार्थीया ने श्री उदाजी के वारिशान का पारिवारिक सजरे मे गलत इन्द्राज किया है, इसी प्रकार जयराम पिता कुशाल जी गुर्जर निवासी डिंगरोल के भी एक पुत्र चमना हुआ था, जिनकी मृत्यु हो चुकी है एवं उनके तीन पुत्र क्रमशः किशनलाल, लक्ष्मणलाल एवं सम्पतलाल हुए जो प्रतिवादी संख्या 03, 04, 05 है एवं श्रीमती चमना की पत्नी श्रीमती नेनीबाई भी जीवित है जो चमना जी के वारिशान है। इस प्रकार श्री चमना जी के वारिशान का भी प्रार्थीया ने गलत इन्द्राज किया है एवं श्री जयराम जी के दो पुत्रीया सोवनी प्रतिवादी संख्या 6 व श्रीमती गोपी गुर्जर हुई, श्रीमती गोपी गुर्जर का विवाह साकरडा (नयाखेडा) मे कराया, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। लेकिन प्रार्थीया ने जयराम जी के वारिशानो का भी पुरा विवरण सजरे मे अंकित नही किया है। इसी प्रकार गिरधारी पिता कुशाल जी गुर्जर निवासी डिंगरोल के भी तीन पुत्र एवं चार पुत्रीया हुई, लेकिन प्रार्थीया ने गिरधारी जी के सजरे मे भी केवल मात्र तीन पुत्रो का ही अंकन किया है। चौथी पुत्री श्रीमती बख्तावरी गुर्जर का सजरे मे कोई हवाला नही दिया गया है। जब कि उसकी दोवडा गांव मे शादी हुई एवं अब उसकी मृत्यु हो चुकी है। इस प्रकार प्रार्थीया ने सजरे मे गलत तथ्य अंकित किये है। विपक्षी संख्या 01 श्री मोहनलाल गुर्जर गिरधारी जी का जाईन्दा पुत्र अवश्य है, लेकिन उसे जाति रिति रिवाज एवं धार्मिक प्रथा के अनुसार एवं हिन्दु विधि के अनुसार श्री गिरधारी जी ने उदा जी के गोद रख दिया एवं श्री उदाजी द्वारा श्री मोहनलाल विपक्षी संख्या 01 को गोद ले लिये जाने से श्री मोहनलाल उदाजी का ही दत्तक पुत्र है, ओर वह उदाजी के परिवार मे ही दत्तक पुत्र की तरह रह रहा है। जिसे प्रार्थीया स्वयं ने स्वीकार किया है। फिर भी प्रार्थीया द्वारा यह जानते एवं मानते हुए कि विपक्षी संख्या 01 मोहनलाल, उदाजी का दत्तक पुत्र है। सजरे मे गलत अंकन कर प्रस्तुत किया है। ग्राम डिंगरोल पटवार हल्का दोवडा तहसील आमेट मे स्थित कृषि भूमियां जो स्वर्गीय उदा जी एवं जयराम जी एवं गिरधारी जी के नाम पर दर्ज थी, जिसका वर्णन वाद

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

पत्र के साथ सलंग्न परिशिष्ट अ मे किया जा रहा है, वह भूमियां स्वर्गीय श्री उदा जी, जयराम जी एवं गिरधारी जी की स्वयं की खरीदशुदा भूमियां है, जिसको उदाजी, जयरामजी एवं गिरधारी जी ने मु० भूरीबाई विधवा वरदा जी गुर्जर निवासी आगलगांव तहसील आमेट, जिला उदयपुर, हाल जिला राजसमंद से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद की है एवं अपने खाते अंकित करवाई है। उक्त भूमियो का परिवार के मुल पुरुष स्वर्गीय कुशाल पिता फत्ता जी गुर्जर से कोई लेना देना नही है। श्री उदा जी की मृत्यु के पश्चात् विपक्षी संख्या 01 मोहनलाल गुर्जर उनका दत्तक पुत्र होने की वजह से उदाजी के नाम दर्ज हिस्सा मोहनलाल के नाम विरासत के आधार पर आ गया एवं तत्पश्चात् मोहनलाल ने अपना हिस्सा बक्षीस पत्र के जरिये अपने पुत्र विपक्षी संख्या 02 रामलाल को बक्षीस कर दी, वर्तमान मे रामलाल के नाम दर्ज होकर रामलाल के नाम दर्ज हिस्से की भूमि पर रामलाल काबिज होकर खा–कमा रहा है। वादग्रस्त भूमियां कभी भी कुशाल जी के नाम दर्ज नही रही। यह कहना सर्वथा गलत है कि कुशाल जी की मृत्यु के पश्चात् वादग्रस्त कृषि भूमियां उदाजी, जयरामजी एवं गिरधारीजी के खाते दर्ज हो गई हो, बल्कि वादग्रस्त भूमियां उदाजी, जयरामजी एवं गिरधारी जी की खरीदशुदा भूमि है ओर तीनो का 1/3–1/3 बराबर–बराबर हक से कब्जा था ओर इसी कब्जे के अनुसार मौके पर वर्षों से खा कमा रहे है। श्री उदाजी के स्वर्गवास के बाद उदाजी के नाम दर्ज भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम, विपक्षी संख्या 01 उनका दत्तक पुत्र होने से खाते दर्ज हो गई, जिसको खाते दर्ज कराने मे प्रार्थीया स्वयं सहमत थी एवं प्रार्थीया ने विपक्षी संख्या 01 के हक मे लिखापढी भी कर रखी है। उदाजी के हिस्से पर विपक्षी संख्या 01 एवं 02 ही काबिज होकर खा कमा रहे है, प्रार्थीया श्रीमती मोहनी का विवाह सिमाल गांव मे करा दिया था, जिस विवाह को कराये हुए 40 साल से भी अधिक समय हो गया है ओर प्रार्थीया सिमाल ही रह रही है। वह कभी भी डिंगरोल मे विवाह के पश्चात् नही रही। प्रार्थीया का कोई कब्जा वादग्रस्त भूमियो पर नही है। न ही उसका कोई उपयोग उपभोग ही है। प्रार्थीया स्वयं ने स्वीकार किया है कि उसके पिता उदाजी ने अपने जीवनकाल मे विपक्षी संख्या 01 मोहनलाल को गोद लिया है एवं मोहनलाल उदाजी का दत्तक पुत्र होकर प्रार्थीया का भाई है। प्रार्थीया स्वयं ने विपक्षी संख्या 01 मोहनलाल के पक्ष मे लिखापढी की एवं प्रार्थीया स्वयं पंचायत मे उपस्थित हुई है एवं उदाजी की जमीन उदाजी का विपक्षी संख्या 01 मोहनलाल दत्तक पुत्र होने से प्रार्थीया की सहमति एवं मौजुदगी मे मोहनलाल के नाम दर्ज की गई है। विपक्षी संख्या 01 ने पंचायत से किसी प्रकार की कोई मिलीभगत नही की है। विपक्षी संख्या 01 चूंकि उदाजी के गोद चला गया था इसलिए उनको गिरधारी जी की जमीन मे कोई हक, हिस्सा नही मिला। वादग्रस्त भूमियां वर्षों से विपक्षी संख्या 01 के खाते आ गई है, जिसकी जानकारी प्रार्थीया को शुरू से थी एवं प्रार्थीया की सहमति से ही जमीन विपक्षी संख्या 01 के खातेदारी मे दर्ज की गई, लेकिन चूंकि विपक्षी संख्या 01 एवं प्रतिवादी संख्या 03 से लगायत 11 के मध्य वर्तमान मे विवाद हो जाने से सभी ने प्रार्थीया को बहकावे मे लेकर इस प्रकार के झुठे मुकदमे लगवाये है, जिसका सत्यता से कोई वास्ता नही है। प्रार्थीया को राजस्व अभिलेखो का अच्छी तरह से ज्ञान है एवं प्रार्थीया की जानकारी मे ही उदाजी की भूमियां विपक्षी संख्या 01 के खाते दर्ज की गई। लेकिन अब चूंकि प्रार्थीया एवं

सहायक कलेक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमंद

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

प्रतिवादी संख्या 03 से लगायत 11 के मध्य मे सांठगाठ हो चुकी है इसलिए प्रार्थीया मिथ्या कथन कर रही है। विपक्षी संख्या 01 ने न तो कोई षडयंत्र रचा है एवं न ही तत्कालीन संरपच, वार्डपंच से कोई साठगाठ की है। बल्कि वास्तव मे विपक्षी संख्या 01 उदाजी का दत्तक पुत्र है, इसलिए ग्राम पंचायत ने उदाजी की मृत्यु के पश्चात् उदाजी की भूमि का नामान्तरकरण विपक्षी संख्या 01 के नाम दर्ज किया है। प्रार्थीया उक्त नामान्तरकरण के वक्त स्वयं मौजुद थी एवं उक्त नामान्तरकरण की प्रार्थीया को अच्छी तरह से जानकारी थी। विपक्षी संख्या 01 मोहनलाल श्री उदा पिता कुशाल जी गुर्जर निवासी डिंगरोल का दत्तक पुत्र होने से ग्राम पंचायत ने नामान्तरकरण नियमानुसार खोला है, जिसकी जानकारी प्रार्थीया को वक्त नामान्तरकरण से ही है। लेकिन प्रार्थीया ने उक्त नामान्तरकरण को आज दिन तक चेलेन्ज नही किया है। चूंकि प्रार्थीया उक्त नामान्तरकरण से सहमत थी, लेकिन अब चूंकि प्रार्थीया एवं प्रतिवादी संख्या 03 से लगायत 11 तक मे सांठगाठ हो चुकी है, इसलिए प्रार्थीया मिथ्या कथन कर रही है। प्रार्थीया न तो विपक्षी संख्या 01 का नाम हटवा सकती है, न ही किसी प्रकार की कोई घोषणा कराने की अधिकारीणी है। प्रार्थीया खातेदार ही नही है तो मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विभाजन करने का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नही होता। विपक्षी मोहनलाल को जो भूमि अपने पिता श्री उदाजी से विरासत मे मिली है, उस भूमि को हर प्रकार से अन्तरण करने का अधिकार होने से उसने अपने पुत्र रामलाल उर्फ रामपाल को दान मे दी है। प्रार्थीया ने जो मुकदमा विपक्षी संख्या 01 के विरूद्ध 420 भा.द.स. की धारा में दर्ज कराया है, उसमे कभी भी विपक्षी संख्या 01 जेल नही गया ओर न ही उसकी न्यायिक मजिस्ट्रेट साहब ने कोई जमानत खारीज की है। बल्कि प्रार्थीया ने एक झुठा मुकदमा लगाया था जिस पर विपक्षी संख्या 01 मोहनलाल को माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय राजसमंद ने दिनांक 16.05.2014 को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी, जो स्वयं प्रार्थीया ने दिनांक 24.02.1981 को निष्पादित इकरार नामे मे विपक्षी संख्या 01 को स्वर्गीय उदाजी का गोदपुत्र होना स्वीकार किया, इसी आधार पर न्यायालय ने अग्रिम जमानत प्रदान की है। लेकिन प्रार्थीया को इस तथ्य की भी सही जानकारी होते हुए भी वाद पत्र मे विपक्षी संख्या 01 के जेल जाने का मिथ्या कथन कर रही है। प्रार्थीया का स्व० उदाजी ने जाति रिति रिवाज एवं हिन्दु विधि के अनुसार विवाह सिमाल गांव मे वरदा जी गुर्जर के साथ करा दिया जिस विवाह को हुए 40 वर्ष से भी अधिक समय हो चुका है एवं प्रार्थीया सिमाल ही रह रही है तथा विपक्षी संख्या 01 को दत्तक पुत्र उदाजी का स्वीकार करते हुए प्रार्थीया ने उदाजी के नाम की जमीन विपक्षी संख्या 01 के नाम खाते कराई है, अब प्रार्थीया का वादग्रस्त सम्पति मे कोई हक, अधिकार नही है। प्रार्थीया ने आज दिन तक किसी भी नामान्तरकरण की कार्यवाही को चेलेन्ज नही किया है, जब कि नामान्तरकरण की कार्यवाही प्रार्थीया की मौजूदगी मे हुई है, जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया एक सहमत पक्षकार थी, लेकिन अब प्रार्थीया मिथ्या कथन कर रही है। प्रार्थीया का वादग्रस्त सम्पति मे कोई हक, अधिकार नही है। विपक्षी संख्या 01 श्री उदाजी का वारीश होने से उदाजी की भूमि विपक्षी संख्या 01 के नाम खातेदारी मे दर्ज की गई है, चूंकि विपक्षी संख्या 01 उदाजी के गोद गया हुआ है, इसलिए उसे अपने जाईन्दा पिता गिरधारी जी की सम्पति मे से कोई हक, हिस्सा नही मिला है, लेकिन अब प्रार्थीया

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी आमेट, जिला-राजसमन्द

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट

एवं प्रतिवादी संख्या 03 से लगायत 11 के मध्य मे दुर्भावना पैदा हो गई है, इसलिए यह मिथ्या मुकदमेबाजी कर रहे है। प्रार्थीया का कोई प्रथम दृष्टिया मामला नही है एवं न ही सुविधा का संतुलन प्रार्थीया के पक्ष मे है एवं जहां तक अपूर्णिय क्षति का प्रश्न है, यदि विपक्षी संख्या 01, 02 के स्वामित्व, आधिपत्य, कब्जे एवं खातेदारी भूमि के संबंध मे किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो विपक्षी संख्या 01, 02 को भारी अपूर्णिय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र सव्यय खारीज फरमाया जावें।

दोनो पक्षों के अधिवक्ता की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना–पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। राजस्व ग्राम डिंगरोल पटवार हल्का दोवड़ा तहसील आमेट जिला राजसमन्द में स्थित खाता संख्या नया 193 पुराना 185 के आराजी नम्बर 381, 401, 402, 405, 406, 407, 408, 410, 419, 420, 421, 456, 569, 570 कुल किता 14 रकबा 6.3900 हैकटेयर भूमि के संबंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि उभयपक्ष प्रकरण संख्या 74/2014 रे. वाद के निस्तारण तक मौके एवं अभिलेख की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसलशुमार होकर मूल वाद के साथ संलग्न रहें।

नोटः– तहसील आमेट/सरदारगढ मे सर्वे–रिसर्वे के दौरान यदि आराजी नम्बर बदल गये हो तो नवीन आराजी नम्बर का नक्शा ट्रेस एवं मिलान खसरा से मिलान करते हुये निर्णय की पालना की जावें। नवीन राजस्व अभिलेख की प्रतियां पालना रिपोर्ट के साथ पुनः इस न्यायालय मे प्रस्तुत करावें।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)

निर्णय आज दिनांक **21.05.2025** को खुले न्यायालय मे आदेश सुनाया गया ।

(गोविन्द सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी आमेट
(राजसमंद)